कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एटा।

प्रशासनिक आदेश संख्या-08 /2022 दिनॉकः जनवरी 12, 2022

आ दे श

मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयोग हेतु वर्ष 2022 के कलैण्डर में दिनॉक 10 अप्रैल (रविवार) को राम नवमी, 10 जुलाई (रविवार) को ईद–उल–जुहा, 02 अक्टूबर (रविवार) को गॉधी जयन्ती तथा 25 दिसम्बर (रविवार) को क्रिसमस–डे का अवकाश घोषित किया गया है, जिन चारों ही अवकाशों का दिन रविवार है। उपरोक्त कलैण्डर में वर्णित टिप्पणी–7 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई राष्ट्रीय अथवा अन्य अवकाश, द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ता है, तो अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उसके स्थान पर किसी अन्य दिवस को, अतिरिक्त अवकाश के रूप में घोषित किया जा सकता है।

अतः दिनॉक 10 अप्रैल 2022 (रविवार) को राम नवमी के स्थान पर 14 अप्रैल 2022 (गुरूवार) महावीर जयन्ती/अम्बेडकर जयन्ती, 10 जुलाई 2022 (रविवार) को ईद–उल–जुहा के स्थान पर 16 मई 2022 (सोमवार) बुद्ध पूर्णिमा, 02 अक्टूबर 2022 (रविवार) को गॉधी जयन्ती के स्थान पर 12 अगस्त 2022 (शुक्रवार) को रक्षाबंधन पर्व तथा 25 दिसम्बर 2022 (रविवार) को क्रिसमस डे के स्थान पर 20 अगस्त 2022 (शनिवार) का अवकाश घोषित किया जाता है।

उपरोक्त दिनॉक के अवकाश घोषित किये जाने के कारण, उस दिनांक को मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीन, जिला न्यायालय, एटा के समस्त न्यायालय एवं कार्यालय बन्द रहेंगे।

उपरोक्त कलैण्डर में वर्णित टिप्पणी–10 के अनुसार वर्ष में 02 चतुर्थ शनिवार दिनॉक 26 मार्च 2022 (चतुर्थ शनिवार) एवं 23 अप्रैल 2022 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायिक कार्य हेतु को न्यायालय खोला जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस आदेश की प्रतिलिपि, जिला मजिस्ट्रेट, एटा एवं कलैक्ट्रेट बार एसोसिएशन, एटा को प्रेषित किये जाने के साथ ही दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशन हेतु उनके कार्यालयों को प्रेषित की जाए तथा कार्यालय के सूचना–पट पर भी चस्पा की जाए।

Sandeep Jain

(संदीप जैन)

जिला न्यायाधीश, एटा

12.01.2022